

प्रेषक,

आयुक्त,
अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़ एवं अध्यक्ष,
मण्डलीय समिति, अलीगढ़ मण्डल।

सेवार्थे,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,
प्रीतिबिहार, नई दिल्ली।

पत्रांक: एस0टी0 / एन0ओ0सी0 /

/2012-13 दिनांक: 25-3-2013

विषय- अलीगढ़ मण्डल में स्थित माध्यमिक विद्यालयों को सी0बी0एस0ई0नई दिल्ली
से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,


उपरोक्त विषयक राजाज्ञा संख्या: 1916(1)/15-7-09-1(299)/2007 दिनांक: 14.07.2009 के अनुपालन में मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक: 25.03.2013 में लिये गये निर्णय के अनुसार श्री राधा बिहारी पब्लिक स्कूल एम0जी0पॉलीटेक्निक के पीछे आगरा रोड हाथरस को सी0बी0एस0ई0नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति पत्र में अंकित निम्न प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

प्रतिबन्ध-

- 1-विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2-विद्यालय की प्रबन्ध समिति में सम्बन्धित जिले का जिला विद्यालय निरीक्षक, सदस्य होगा।
- 3-विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0, माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं में निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 4-संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी एजुकेशन नई दिल्ली/कौंसिल फार दि इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उरा परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0, माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- 5-संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमान्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगे।
- 6-कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की भर्ति अनुमना सेवानिवृत्त का लाभ उपलब्ध कराये जायेगे।


(VIKRAM SINGH)
Principal

Shri Radha Bihari Public School
Hathras- 204101 (U.P.)
CBSE Affil. No.- 2133166


Manager
Shri Radha Bihari Public School
Hathras-204101 (U.P.)

- 7-राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
- 8-विद्यालय रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- 9-विद्यालय में अग्नि शमन यंत्र स्थापित कर अग्नि शमन अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें तथा विद्यालय की भूमि भवन यदि विद्यालय के नाम न हो तो विद्यालय के नाम करायें।
- 10-नेशनल विलिडिग कोड में प्रावधानित सुरक्षा मानकों का प्रमाण पत्र सम्बन्धित अभियन्ता से प्राप्त कर लिया जायें।
- 11-उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है। तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापिस ले लिया जायेगा।

मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,
अलीगढ़।

भवदीय,
(कुँवर विक्रम सिंह)
मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
अलीगढ़ मण्डल,अलीगढ़

कार्यालय -मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,अलीगढ़।

- पृष्ठोंकन संख्या:एस0टी0/एन0ओ0सी0/7364-74/2012-13 दिनोंक वही।
प्रतिलिपि- निम्नोक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 1-सचिव,(माध्यमिक शिक्षा)उ0प्र0शासन,शिक्षा-7 अनुभाग लखनऊ।
 - 2-मण्डलायुक्त अलीगढ़।
 - 3-शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उ0प्र0,18 पार्क रोड लखनऊ।
 - 4-जिलाधिकारी,हाथरस।
 - 5-जिला विद्यालय निरीक्षक,हाथरस।
 - 6-प्रबन्धक,सम्बन्धित विद्यालय।
 - 7-गार्ड फाइल हेतु।

डा0(अजना गायल)
सचिव/सदस्य एवं
मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,
अलीगढ़।

(VIKRAM SINGH)

Principal

Shri Radha Bihari Public School

Hathras- 204101 (U.P.)

CBSE Affi. No.- 2133166

Manager

Shri Radha Bihari Public School

Hathras-204101 (U.P.)